बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभा

ज्ञाप सं0–5/2075 आ0 24/2015–16– /रा0 पटना–15, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना रूप से परामर्शित।

विषय :– **गया जिला के मिर्जा ईकबाल की विधवा द्वारा स्थापित मस्जिद एवं मकबरों के धार्मिक उत्सव तथा अन्य प्रयोजनों पर व्यय हेतु अध्यक्ष, अन्जुमन इमामियाँ, गया को भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 3106–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा के अन्तर्गत कुल रू0 15,000=00 (पन्द्रह हजार) मात्र की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

मुख्य शीर्ष 2075– विविध सामान्य सेवाऐं–101– पुनः गृहीत जागीरों, भूमि, क्षेत्र आदि के स्थान पर पेंशन–0002–उपवर्जित मालिकों को मालिकाना या भत्ते विपत्र कोड एन 2075001010002 मांग सं0–40 के विषय शीर्ष 3106–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में विकलनीय होगा।

2. अन्जुमन इमामियाँ, गया के लेखा बहियों को देखने का अधिकार अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को होगा।

3. समाहर्त्ता, गया द्वारा राशि की निकासी कर उक्त राशि का भुगतान अध्यक्ष, अन्जुमन इमामियाँ, गया को किया जायेगा।

4. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।

5. समाहर्त्ता, गया इस राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकार तथा महालेखाकार बिहार, पटना को भेजेंगे।

6. महालेखाकार द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करायी गयी राशि का सामंजन कराने के पश्चात राशि व्यय किया जायेगा।

7. इस राशि की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं0–96 वि0 दिनांक–03.01.2008 एवं संशोधित संकल्प सं0–2063 वि0 दिनांक–11.03.2016 के आलोक में की जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

*फैक्स/ ई-मेल ✓

ज्ञापांक–.......45 (5)......./**रा0, पटना–15, दिनांक**–.......09-03-17

प्रतिलिपि :–वित्त विभाग, बिहार, पटना/*समाहर्त्ता, ✓गया/ कोषागार पदाधिकारी, गया/ अध्यक्ष, अन्जुमन इमामियाँ, गया, शिया मस्जिद, पुरानी जेल खाना, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अध्यक्ष, अन्जुमन इमामियाँ, गया को निदेश दिया जाता है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा उक्त लेखों का अंकेक्षण निबंधित लेखापाल (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) से कराकर अंकेक्षण प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजा जाय।

8/3/17

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।